न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 76/2016 जिला दौसा ।

1. बुद्धा
2. मंगला
3. प्रभू
4. पून्या
5. तेजा
6. काना

पि0 श्री जैन्या कौम बैरवा, निवासी मानपुर तहसील रामगढ पचवारा (पुरानी तहसील लालसोट) जिला सीकर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र स्व0 श्री कालू जाति मीना, निवासी मानपुर नवसृजित तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवार (पुरानी तहसील लालसोट) जिला दौसा।
3. ग्राम पंचायत सलेमपुर जरिये सरंपच तहसील रामगढ पचवारा (पुरानी तहसील लालसोट) जिला दौसा

रेस्पोडेंटगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 15.07.2015 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार शर्मा।

निर्णय

दिनांक–10.03.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 06.09.2016 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील रामसहाय बनाम ग्राम पंचायत सलेमपुर में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकण संख्या 37 ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत सलेमपुरा दिनांक 21.04.1973 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अधिवक्ता अपीलांट्स की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बगैर अपीलांट्स की सुनवाई के ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जिससे अपीलांट्स अपना पक्ष व सबूत प्रस्तुत करने में महरूम हो गया। उक्त अपील नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 21.04.1973 के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जो एक्सट्रा ऑर्डिनिरी डिले की श्रेणी में आती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अपील को निस्तारित करने से पूर्व मियाद अधिनियम पर आदेश पारित करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अधिनियम पर किसी प्रकार की कोई विवेचना किये बगैर ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया। आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 17 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 129/65 है उक्त भूमि के अपीलांट्स रिकार्डेड खातेदार है एवं काबिज खातेदारक काश्तकार है तथा उक्त जमीन अपीलांट्स के पूर्वजो को आवंटित की गई थी

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तथा अपीलांट्स को उक्त भूमि की खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने केवल नामान्तकरण के बिन्दु को उठाकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की है जबकि यदि रेस्पोडेंट को कोई पीडा थी जो आवंटन को चुनौती दी जानी चाहिये थी। उक्त भूमि के आवंटन के पश्चात अपीलांट्स के पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा है तथा ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे के विधिवत जांच करके पूर्ण सुनवाई की जाकर अपीलांट्स के पूर्वजो के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने की कार्यवाही की थी। जिस पर तहसीलदार द्वारा 183 (बी) की कार्यवाही की जाकर पुलिस की सहायता से उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा संभलाया गया था जो इस बात को साबित करता है कि उक्त भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है एवं अपीलांट्स ही उक्त भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.07.2015 का है लेकिन अपीलांट्स को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 04.08.2016 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 05 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद आराजी खसरा नम्बर 64 रकबा 17 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 129/65 है के नामान्तरकरण का है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष अपील पेश कर आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 17 बीघा जिसके नवीन खसरा नम्बर 129/65 राजकीय सिवायचक भूमि थी। उक्त आराजीयात भूमि पर पूर्व कब्जेधारी रेस्पोडेंट (वर्तमान अपीलांट्स) के पिता स्व0 जैन्या का मात्र 13 बीघा एवं जगदीश पुत्र दुर्गालाल बारेठ का 4 बीघा भूमि पर कब्जा निरन्तर होने से कब्जाधारी जैन्या पुत्र छोटू व जगदीश पुत्र दुर्गालाल बारेट को उक्त भूमि आवंटित कर खातेदारी हक प्रदान किये गये। उक्त खसरा नम्बरान के पूर्व खातेदार जगदीश पुत्र दुर्गालाल बारेठ से भूमि 4 बीघा जरिये रजिस्ट्री अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट सं0 1) द्वारा कय की गई हैं परन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत सलेमपुरा द्वारा रेस्पोडेंटस (वर्तमान अपीलांट्स) के पूर्वज जैन्या पुत्र छोटू के नाम 17 बीघा भूमि का नामान्तकरण सं0 37 दिनांक 21.04.1973 को तस्दीक किया गया को निरस्त फरमाने की प्रार्थना की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 15.07.2015 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 37 ग्राम पंचायत सलेमपुर आदेश दिनांक 21.04.1973 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नामान्तकरण संख्या 39 के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। मात्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यो को कयास के आधार पर सही मानते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। यहां तक कि उक्त अपील नामान्तकरण दिनांक 21.04.1973 के विरूद्ध दिनांक 30.12.2012 को प्रस्तुत की गई है जो लगभग 39 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बगैर तथा अपील के अन्दर मियाद घोषित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 03.06.2014 को पत्रावली विपक्षीगण की तलबी में थी तथा आगामी पेशी दिनांक 9.9.2014 नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट्स) को कोई नोटिस जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 15.07.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में ली जाकर प्रार्थी (वर्तमान रेस्पोडेंट सं0 1) का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर पारित किया गया है जो

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रकिया को पूर्ण किये बगैर पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधि के प्रावधानों के अनुरूप पुनः निर्णय पारित किया जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner